

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 34/2017 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम

1. श्री हरिश गुर्जर उर्फ वीरु गुर्जर पुत्र श्री नन्दलाल गुर्जर, विक्रेता/मालिक मैसर्स वीर गुर्जर डेयरी, नई शाम की सब्जी मण्डी, भोपालगंज, भीलवाड़ा स्थाई पता :- म.सं. जी-38, आर.के. कॉलोनी भीलवाड़ा।

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 उपस्थित—

- 1 श्री संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाड़ा
- 2 विपक्षी अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 27.06.2017

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी श्री हरिश गुर्जर उर्फ वीरु गुर्जर पुत्र श्री नन्दलाल गुर्जर विक्रेता, मैसर्स- वीर गुर्जर डेयरी, नई शाम की सब्जी मण्डी, भोपालगंज, भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत घी, दूध, छाछ इत्यादि का निर्माण कर विक्रय कर रहा था। मैसर्स वीर गुर्जर डेयरी, नई शाम की सब्जी मण्डी, भोपालगंज, भीलवाड़ा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु एक स्टील की टंकी में लगभग 15-17 किलो घी (खुला हुआ) रखा हुआ था। मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म v-ए में दी एवं रसीद प्राप्त की। नियमानुसार घी (खुला हुआ) का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। विपक्षी के विरुद्ध न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-ए की प्रति, रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म-6 मेमोरेण्डम, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 30/08/2016 को समय 3:00 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स वीर गुर्जर डेयरी, नई शाम की सब्जी मण्डी, भोपालगंज, भीलवाड़ा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया, परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया। इस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत श्री वीरू गुर्जर पुत्र श्री नन्दलाल गुर्जर उम्र- 19 वर्ष जाति - गुर्जर, निवासी- म.सं. जी-38, आर.के. कॉलोनी भीलवाड़ा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु घी, दूध, छाछ ईत्यादि आम जनता को विक्रय कर रहा था। मालिक/विक्रेता से मौके पर फर्म के खाद्य लाईसेंस की प्रति मांगी गई, मौके पर विक्रेता/मालिक द्वारा बताया गया कि उनकी फर्म ने खाद्य लाईसेंस नहीं ले रखा है। शीघ्र ही खाद्य लाईसेंस प्राप्त कर कार्यालय में पेश करने बाबत कहा गया।

मैसर्स वीर गुर्जर डेयरी, नई शाम की सब्जी मण्डी, भोपालगंज, भीलवाड़ा का विक्रेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु एक स्टील की टंकी में लगभग 15-17 किलो घी (खुला हुआ) रखा हुआ था। एक स्टील की टंकी में लगभग 15-17 किलो घी (खुला हुआ) रखा हुआ था। मिलवाट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम 2011 के तहत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म v-ए में दी एवं रसीद प्राप्त की।

मौके पर गवाह एवं विक्रेता की उपस्थिति टंकी में रखे हुए घी को 1 लीटर मापक से अच्छी तरह से हिलामिलाकर एकरूप किया। इस एकरूप शुदा घी में से 800 ग्राम घी एक साफ, सुख, खाली, स्टील के भगोने में तुलवाकर एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत वास्ते जाँच हेतु खरीदे एवं इस बाबत 300/- रुपये अक्षरे तीन सौ रुपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की।

इन खरीदशुदा इन खरीदशुदा घी को गवाहों व विक्रेता के सामने चार साफ सुखे, खाली चौड मुंह के प्लास्टिक के कन्टेनरों में बराबर - बराबर भागों में विभाजित कर डाला एवं ढक्कन लगाकर एयर टाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स-172 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को ब्रेड के लेबल को साथ में रख कर, अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर, प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स-172 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाड़ा डॉ. जगदीशचन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया

नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैंने व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सीलड नमूना भागों पर विक्रेता श्री वीर गुर्जर पुत्र श्री नन्दलाल गुर्जर के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सीलड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये सभी कार्यवाही गवाहों व विक्रेता के सामने पूर्ण की गई। जिस सील से नमूना भागों को सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम मौके पर पंचनामें पर अंकित किया गया साथ ही मेरे द्वारा मौके पर गवाहों की उपस्थिति में विक्रेता को लिए गये नमूने की जाँच एक्रीकेटेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स-172 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागो को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. L.S.511/Act/2016/561 दिनांक 15/09/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना घी (खुला हुआ) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) होना पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षी श्री वीर गुर्जर पुत्र श्री नन्दलाल गुर्जर विक्रेता/मालिक मैसर्स वीर गुर्जर डेयरी, नई शाम की सब्जी मण्डी, भोपालगंज, भीलवाडा द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (खुला हुआ) का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 12.05.2017 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 12.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 22.06.2017 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित है, जिससे विपक्षी पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी से लिया गया खाद्य नमूना घी (खुला हुआ) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने घी (खुला हुआ) Butyrefractometer Reading at 40° c पर 40 से 43 तक होनी चाहिए, उसके स्थान पर 43.9 पाई गई। Reichert Value कम से कम 26 होनी चाहिए, के स्थान पर 25.48 ही पाई गई। इसलिए लिया गया नमूना घी खुला हुआ सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी खुला हुआ का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस

एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी के विरुद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा विपक्षी को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये, पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु विपक्षी द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विभागीय पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. L.S.511/Act/2016/561 दिनांक 15/09/2016 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया, खाद्य नमूना घी (खुला हुआ) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने घी (खुला हुआ) Butyrefractometer Reading at 40° c पर 40 से 43 तक होनी चाहिए, उसके स्थान पर 43.9 पाई गई। Reichert Value कम से कम 26 होनी चाहिए, के स्थान पर 25.48 ही पाई गई। इसलिए लिया गया नमूना घी खुला हुआ सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी खुला हुआ का निर्माण एवं विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 15,000/-रूपये (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय

में सुनाया गया।



27/06/17
न्याय निर्णय (एल0अर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं पजिस्ट्रेट
(खाद्य प्रयोगशाला) अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राजस्थान जयपुर
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3. कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4. श्री हरिश गुर्जर उर्फ वीरु गुर्जर पुत्र श्री नन्दलाल गुर्जर, विक्रेता/मालिक मैसर्स वीर गुर्जर डेयरी, नई शाम की सब्जी मण्डी, भोपालगंज, भीलवाडा
स्थाई पता :- म.सं. जी-38, आर.के. कॉलोनी भीलवाडा।

27/06/17
न्याय निर्णय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं पजिस्ट्रेट
(खाद्य प्रयोगशाला) अति0 जिला मजिस्ट्रेट 2006
भीलवाडा